



न्यायालय मानवीय राजस्व मण्डल मद्रास श्यालियर ।

पं०/निगरानी/श्यापुर/मू.रा/2018/1353

पं०/निगरानी/श्यापुर/मू.रा/2018/1353

पं०/निगरानी/श्यापुर/मू.रा/2018/1353

जसविन्दर कौर पत्नी श्री धर्मपाल सिंह , काश्तकार
निवासी ग्राम सरारी बुई, तहसी कराहल,
जिला श्यापुर मद्रास

--- आवेदिका

बनाम

1- रामपती पत्नी खुमौर, जाति मोणा

निवासी गोठरा, तहसी कराहल, जिला श्यापुर

2- काड़ी बेबा रामरूप जाति रावत

निवासी गोठरा, तहसी कराहल, जिला श्यापुर

3- शिवप्रसाद पुत्र पृथुलाल जाति रावत

4- सुग्रीव पुत्र पृथुलाल, जाति रावत

5- वृषेण पुत्र पृथुलाल, जाति रावत

6- विवेणी देवी पुत्री पृथुलाल

7- किरण देवी पुत्री पृथुलाल

8- देवी पुत्री पृथुलाल

9- जसवीर पुत्र पृथुलाल

10- जसवीर पत्नी पुत्री पृथुलाल

निवासी गोठरा, तहसी कराहल, जिला श्यापुर

11- पिल ताबाई पत्नी गुरेण

निवासी जाखर, तहसी कराहल, जिला श्यापुर

12- तन्तोष पत्नी दिलावर

निवासी तिलपुरी, तहसी कराहल, जिला श्यापुर मद्रास

2018.05.11/1353
22/2/18
श्यापुर मानवीय राजस्व मण्डल
मद्रास
पं०/निगरानी/श्यापुर/मू.रा/2018/1353

न्यायालय मानवीय राजस्व मण्डल, श्यालियर
अधिन प्रति
पुस्तक नं०
दिनांक 22/2/18
करताहर व नाम

Handwritten signature or mark.

-2-

11211

§ 13 - लिफ्ट पुत्र वेतु

निवासी भावदा, TBO कराड,

जिला श्योपुर म०प०

§ 14 - म०प०शासन

----- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प०, राजस्व संहिता, 1959,

विरुद्ध आदेशा दिनांक 29- 8- 2017 को अपर कलेक्टर जिला श्योपुर

म०प० द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/12 -1 एवं निगरानी में पारित

किया।

श्रीमान् जो,

निगरानी आवेदनपत्र निर्मन प्रकार प्रस्तुत है :-

3

- 3 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो / निगरानी / श्योपुर / भू.रा. / 2018 / 1353

जसविन्दर कौर विरुद्ध रामपती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.सी. शर्मा एवं अनावेदक क्र. 14 की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 10/2012-13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-08-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(आर0के0 जैन) सदस्य</p>	